महत्वपूर्ण निर्देश :

1. पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन तथा शुल्क परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन के अन्दर–अन्दर केवल ऑनलाईन प्राप्त किए जाने का प्रावधान है। अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन उपरान्त परीक्षार्थियों के परिणाम की सूचना बोर्ड की वैबसाईट **www.bseh.org.in** पर अपलोड की जाती है।

3. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी(शैक्षिक/ओपन)/डी.एड. की परीक्षा में किसी विषय में 90 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थी भी अब उस विषय में पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है।

4. पुनर्मूल्यांकन शुल्क 1000/–रुपये प्रति उत्तरपुस्तिका है। एक परीक्षार्थी द्वारा एक/अधिक विषयों हेतु एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा। पुनर्मूल्यांकन हेतु जमा शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।

5. पुनर्मूल्यांकन उपरान्त यदि किसी परीक्षार्थी के किसी विषय में 10 प्रतिशत या 10 प्रतिशत से अधिक अंक बढ़ते है तो 1000/–रुपये में से 500/–रुपये परीक्षार्थी को निर्धारित नियम अनुसार लोटाये जाएगें।

6. यदि किसी परीक्षार्थी के किसी विषय में एक अंक भी बढेगा तो वह अंक भी उसके उस विषय में कुल अंकों में जोड़ा जायेगा। इसी तरह यदि पुर्नमूल्यांकन में किसी विषय में अंक कम होगें तो उसके कम हुए अंक ही मान्य होगें पहले अर्जित किए गए अंक मान्य नहीं होगें ।

7. यदि किसी पेपर में 10 प्रतिशत से अधिक अंक बढ़ते या घटते हैं तो उस उत्तरपुस्तिका को तीसरे परीक्षक के पास भेज कर पुनर्मूल्यांकन करवाया जाएगा और उस अवस्था में दूसरे एवं तीसरे परीक्षकों द्वारा दिए गए अंकों की औसत के अनुसार निर्धारित नियमानुसार अंक निर्धारित किए जाएंगे।

8. अधूरा फार्म/बिना शुल्क प्राप्त फार्म सीधा रदद् कर दिया जायेगा व परीक्षार्थी का इस सन्दर्भ में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा व ऐसी स्थिति में कोई फीस वापिस नहीं होगी।

9. परीक्षार्थी को पुनर्मूल्यांकन की सुविधा केवल उत्तरपुस्तिका उपलब्ध होने की स्थिति में ही दी जायेगी। यदि किसी कारण से उत्तरपुस्तिका उपलब्ध नहीं होती है तो परीक्षार्थी के प्राप्तांक सूची में दर्शायें गये अंक ही माने जायेंगे। ऐसी स्थिति में कार्यालय पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बाध्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में केवल शुल्क देय होगा।

10. अंकित उत्तरपुस्तिका परीक्षार्थी/उसके माता–पिता/अभिभावक को किसी भी अवस्था में नहीं दिखाई जायेगी।

11. पुनर्मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा में ही करवाया जा सकता है तथा बोर्ड नियमानुसार ही पुनर्मूल्यांकन बारे कार्यवाही की जायेगी।

12. पुनर्मूल्यांकन के सम्बन्ध किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई केवल भिवानी स्थित न्यायालय में ही की जा सकेगी।

Important Instructions for Re-Evaluation

1. Application and fee for re-evaluation can be sent only through online, within a span of 20 days after the declaration of the result. No consideration on applying through any other source/medium.
2. The information of the result of re-evaluation of the answer-book of students is uploaded on board website www.bseh.org.in.
3. The students of Secondary/Sr. secondary (Academic/Open) D.Ed. who attain above 90% marks in any subject can also apply for re-evaluation.
4. The fee for re-evaluation is Rs. 1000/- per answer-book/subject. Only one form should be filled by the candidate for one or more than one subjects. Fee deposited is non-refundable.
5. After the re-evaluation if there is an increase of 10% marks or more in any subject, in such a case Rs. 500/- will be refunded out of Rs. 1000/- taken as re-evaluation fee.
6. If there is an increase of even one mark in any subject in re-evaluation, it will be added to the total of that subject. Similarly, if marks are decreased/reduced during re-evaluation, then the reduced marks will be considered and not the marks attained formerly.
7. If there is an increase/decrease of more than 10% marks in any subject in re-evaluation, that answer book will be sent to the third examiner for further re-evaluation and in that case an average of the marks given by the second and the third examiner will be given according to the set rules and regulations of the Board.
8. Incomplete form/ form received without fee will be directly cancelled and no claim of the student will be acceptable in this matter and no fee will be refunded.
9. The facility of re-evaluation will be given only in case of availability of answer-book. If the answer-book is not available for some reasons then the marks obtained by the candidate in his original marks-sheet will be considered. In such a case the board is not bound for re-evaluation . Only the fee will be refunded.
10. Marked answer-book will not be shown to the candidate/his parents/guardian in any case.
11. Re-evaluation can be done only in case of written exam and action can be taken only in accordance with rules and regulations of the board.
12. Any type of legal proceedings regarding re-evaluation can be done through the court situated at Bhiwani only.